



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.2(2)परावि./प्रशा.1/वि.अ./पद/2010/1167 जयपुर,दिनांक:- 23/5/17

—: आदेश :-

श्री. विजय सिंह, RRDS, हाल विकास अधिकारी, बौली जिला सवाईमाधोपुर का स्थानान्तरण/पदस्थापन तत्काल प्रभाव से श्रीमती अनुपमा सक्सैना, RRDS, विकास अधिकारी पंचायत समिति सांभरलेक जिला जयपुर के स्थान पर किया जाकर, श्रीमती सक्सैना को आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय पंचायती राज विभाग, किया जाता है।

उपरोक्त अधिकारी विकास अधिकारी के पद का कार्यभार विभागीय परिपत्र दिनांक 15.7.14 के क्रम में पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों की वरियता के क्रम में संभलाकर तत्काल अपनी उपस्थिति नव पदस्थापित स्थान प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(गिरीश पाराशर)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, जयपुर/भरतपुर।
8. जिला कलेक्टर, जयपुर/सवाईमाधोपुर।
9. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर/सवाईमाधोपुर।
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति सांभर/बौली।
11. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
12. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
13. आदेश पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)